रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102023-249741
CG-DL-E-27102023-249741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 734]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2023/कार्तिक 5, 1945
No. 734]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023/KARTIKA 5, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2023

सं.-एल-1/250/2019/सीईआरसी1.— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 (इसके बाद "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित) को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**

   (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 है।

   (2) ये विनिमय आयोग द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे ।

2. मूल विनियमों के विनियम 5 के खंड (3) के उप-खंड (घ) में निम्नलिखित परंतुक अंतर्वेशित किया जाएगाः

   "परंतु यह कि जहाँ विशेष प्रदेश को विद्युत की आपूर्ति के लिए नियोजित अंतर-प्रादेशिक एचवीडीसी पारेषण प्रणाली का प्रचालन, प्रणाली आवश्यकताओं के कारण विपरीत दिशा में विद्युत पहुँचाने के लिए किया जाता है, ऐसी पारेषण प्रणालियों के राष्ट्रीय घटक में विचार किए जाने वाले वार्षिक पारेषण प्रभारों का प्रतिशत, इन विनियमों के विनियम 6 के खंड (1) के उप-खंड (क) के अनुसार 30% या इससे अधिक होगा।"

3. मूल विनियमों के विनियम 6 के खंड (1) के उप-खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(क) विनियम 5 के खंड (3) के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन कवर किये गए एचवीडीसी पारेषण प्रणालियों के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारो के सिवाय संबंधित क्षेत्र के लिए विद्युत की आपूर्ति के लिए नियोजित एचवीडीसी पारेषण प्रणालियों की वार्षिक पारेषण प्रभारों के 70 प्रतिशत को शामिल करते हुए एचवीडीसी (आरसी -एचवीडीसी) का प्रादेशिक संघटक:

परंतु यह कि जहाँ विशेष प्रदेश को विद्युत की आपूर्ति के लिए नियोजित अंतर-प्रादेशिक एचवीडीसी पारेषण प्रणाली का प्रचालन, प्रणाली आवश्यकताओं के कारण विपरीत दिशा में विद्युत पहुँचाने के लिए किया जाता है, वहाँ प्रादेशिक घटक और राष्ट्रीय घटक में लिए जाने के लिए ऐसी पारेषण प्रणालियों के वार्षिक पारेषण प्रभारों के प्रतिशत को निम्नानुसार परिकलित किया जाएगाः

एचवीडीसी$_{\text{आर}}$ (% में) = (विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह की मेगावाट क्षमता / अग्रदिश दिशा में विद्युत प्रवाह की मेगावाट क्षमता)x100

जहाँ एचवीडीसी$_{\text{आर}}$ (% में) 30% से अधिक है, एचवीडीसी$_{\text{आर}}$ के तदनुरूप वार्षिक पारेषण प्रभारों को राष्ट्रीय घटक में लिया जाएगा और शेष को प्रादेशिक घटक में।

जहाँ एचवीडीसी$_{\text{आर}}$ (% में) 30% के बराबर या उससे कम है, वार्षिक पारेषण प्रभारों के 30% को राष्ट्रीय घटक में लिया जाएगा और 70% को प्रादेशिक घटक में:

परंतु यह और कि विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह की मेगावाट क्षमता को ऐसी क्षमता के बराबर के प्रवाह के लिए वास्तिवक विद्युत के माध्यम से एनएलडीसी द्वारा सत्यापित किया जाएगा; और"

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./516/2023-24]

नोटः

(1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 भारत के राजपत्र (असाधारण) सं.243 के भाग III, खंड 4 में दिनांक 01.07.2020 को प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 भारत के राजपत्र (असाधारण) सं.149 के भाग III, खंड 4 में दिनांक 01.03.2023 को प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2023

No. L-1/250/2019/CERC1.— In exercise of the powers conferred under Section 178 read with Part V of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) (Third Amendment) Regulations, 2023.

(2) These regulations shall come into effect from the date of publication in gazette.

2. The Following Proviso Shall Be Inserted In Sub-Clause (D) Of Clause (3) Of Regulation 5 Of The Principal Regulations:

"Provided that where an inter-regional HVDC transmission system planned to supply power to a particular region is operated to carry power in the reverse direction due to system requirements, the percentage of Yearly Transmission Charges of such transmission systems to be considered in the National component shall be 30% or more in accordance with sub-clause (a) of Clause (1) of Regulation 6 of these regulations."

3. Sub-clause (a) of clause (1) of regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(a) Regional Component of HVDC (RC-HVDC) comprising of 70% of Yearly Transmission Charges of HVDC transmission systems planned to supply power to the concerned region, except HVDC transmission systems covered under sub clauses (a), (b) and (c) of Clause (3) of Regulation 5:

Provided that where an inter-regional HVDC transmission system planned to supply power to a particular region is operated to carry power in the reverse direction due to system requirements, the percentage of Yearly Transmission Charges of such transmission systems to be considered in the Regional component and the National component shall be calculated as follows:

$HVDC_r$ (in %) = (MW capacity of power flow in the reverse direction / MW capacity of power flow in the forward direction) X100

Where, HVDCr (in %) is more than 30%, the Yearly Transmission Charges corresponding to HVDCr shall be considered in the National component and the balance in the regional component.

Where, HVDCr (in %) is equal to or less than 30%, 30% of Yearly Transmission Charges shall be considered in the National component and 70% in the Regional component:

Provided further that the MW capacity of power flow in reverse direction shall be certified by NLDC by way of actual power flow equal to such capacity; and"

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./516/2023-24]

Note:

(1) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020, were published on 01.07.2020 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 243.

(2) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) (First Amendment) Regulations, 2023 were published on 01.03.2023 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 149.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.27 21:50:00 +05'30'